# सप्तदश बिहार विधान सभा

## चतुर्दश सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०** | ''बिहार में मजदूरों का कोई वर्गीकरण अब तक नहीं है । वर्गीकरण नहीं होने से कामगार यह दावा नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अमुक श्रेणी की मजदूरी दी जाय। काम कराने वाली संस्था या व्यक्ति की ओर से जो भी मजदूरी दी जाती है, उसे मजदूर स्वीकार करते हैं । इससे मजदूरों को मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक शोषण हो रहा है । श्रम संसाधन विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय की गई है । जबकि प्रशिक्षित मजदूरों की काफी संख्या कार्यरत है । जिससे प्रशिक्षित मजदूरों एवं अन्य मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ।<br>अतः मजदूरों के कार्य वर्गीकरण एवं प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी तय करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।'' | **श्रम संसाधन** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स०<br>श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० | ''बिहार में पैथोलॉजिकल जाँच और आई0सी0यू0 का दर निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित नहीं रहने के कारण अस्पतालों द्वारा मरीजों से मनमानी शुल्क ली जाती है । सरकारी अस्पतालों में हर जगह व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोग निजी पैथोलॉजिकल जाँच केन्द्रों में जाँच कराने हेतु जाने के लिए विवश हैं, जहाँ उनका आर्थिक रूप से शोषण होता है । बीमारी पूरे परिवार को विपन्नता की तरफ धकेलती है, जिसमें निजी अस्पताल और पैथोलॉजिकल जाँच केन्द्रों की भूमिका अधिक होती है ।<br>अतः सभी निजी अस्पतालों के लिए आई0सी0यू0 की दर एवं पैथोलॉजिकल जाँच की दर निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।'' | स्वास्थ्य |

---

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-17/25- 205 /वि०स०, पटना, दिनांक- 26 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 26.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-17/25- 205 /वि०स०, पटना, दिनांक- 26 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 26.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-17/25- 205 /वि०स०, पटना, दिनांक- 26 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / **श्रम संसाधन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 26.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-17/25- 205 /वि०स०, पटना, दिनांक- 26 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 26.3.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

उमितमाक
26.03.2025